प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स ......129/2022...... दिनांक ......13/4/2022......
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7, 11 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 235......... समय ......10:00 A.M.........
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 12.4.2022 समय 10.06 एएम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 8.4.2022 समय 11.00 एएम
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक– लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाने से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण पश्चिम दिशा, लगभग 300 किलोमीटर
   (2) पता – आरटीडीसी पणिहारी होटल पाली (राज)।
   .... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : श्री विमल कुमार
   (2) पिता का नाम : श्री बद्रीनारायण लौहार
   (3) आयु : 43 साल
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
   (6) व्यवसाय : प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्यावर गोमती पैकेज 2
   (7) पता : 17, सूर्य नगर, सवीना, उदयपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री यज्ञदत्त विदुवा पुत्र श्री विपिन बिहारी विदुवा जन्मतिथि 05-3-1965 निवासी 16, गणेश विहार, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली (राज)।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
   क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
   1. भारतीय चलन मुद्रा 13,00,000/– रूपये, आरोपी श्री यज्ञदत के द्वारा परिवादी से 13 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 13,00,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् उप महानिरीक्षक महोदयजी,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर संभाग

विषय– भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं विमल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, रमेश कुमार बंसल, ब्यावर गोमती पेकैज, 2 में कार्यरत हूँ। कम्पनी की ओर से मुझे इस पैकेज 2 का संपूर्ण कार्य सम्पादन की जिम्मेदारी दी गई है।

उक्त कार्य में एन एच (पीडब्ल्यूडी) विभाग के कार्यकारी अभियंता (Executive engineer) श्री यज्ञदत जी विदुआ है। इनके द्वारा मुझ पर अनुचित दबाव दिया जा रहा है। इससे कार्य में अवरोध पैदा हो रहा है। श्री यज्ञदत जी कार्य में अवरोध पैदा कर मुझसे अनुचित मांग कर रहे है। पूर्व में भी मुझसे अनुचित दबाव बनाकर कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के बदले में एप्पल कम्पनी का लेपटॉप मांगा गया था, जो मैंने दिया था उसका बिल भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मुझ पर दबाव बनाकर मेरी कम्पनी के कार्य को बाधित कर बिल राशि में से 75 लाख की राशि रोकी गयी है। जो कि एच आर (हैड रिसिप्ट) के माध्यम से रिलीज होगी। उसे निकालने एवं कार्य को फिर से बाधा उत्पन्न नहीं करने की एवज में 10 लाख रूपये की राशि मांग रहे है। मैं इतनी बडी राशि देने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे बार बार नौकरी से हटवाने की धमकी दी जा रही है। मेरा इस अधिकारी से कोई व्यक्तिगत लेनदेन नहीं है। मैं इससे काफी परेशान हो चुका हूँ। मैं इस अधिकारी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ ताकि मेरी कम्पनी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। कृपया उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ।

दिनांक
8/4/22

एसडी–
(विमल कुमार)
17, सूर्यनगर, सवीना
उदयपुर(राज)
8769720054

एसडी/–
नेतराम जोरवाल
एसडी/–
निर्भय रावत

कार्यवाही पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर

दिनांक 8–4–2022 समय 11.00 ए.एम.

इस समय श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री विमल कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण उम्र 43 वर्ष निवासी 17 सूर्य नगर सवीना उदयपुर पेशा हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्यावर गोमती पेकैज 2 से आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी श्री विमल कुमार की स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूपुर्द कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री विमल कुमार को लेकर अपने कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ''मैं विमल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, रमेश कुमार बंसल, ब्यावर गोमती पेकैज, 2 में कार्यरत हूँ। कम्पनी की ओर से मुझे इस पैकेज 2 का संपूर्ण कार्य सम्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। उक्त कार्य में एन एच (पीडब्ल्यूडी) विभाग के कार्यकारी अभियंता (Executive engineer) श्री यज्ञदत जी विदुआ है। इनके द्वारा मुझ पर अनुचित दबाव दिया जा रहा है। इससे कार्य में अवरोध पैदा हो रहा है। श्री यज्ञदत जी कार्य में अवरोध पैदा कर मुझसे अनुचित मांग कर रहे है। पूर्व में भी मुझसे अनुचित दबाव बनाकर कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के बदले में एप्पल कम्पनी का लेपटॉप मांगा गया था, जो मैंने दिया था उसका बिल भी

प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मुझ पर दबाव बनाकर मेरी कम्पनी के कार्य को बाधित कर बिल राशि में से 75 लाख की राशि रोकी गयी है। जो कि एच आर (हैड रिसिप्ट) के माध्यम से रिलीज होगी। उसे निकालने एवं कार्य को फिर से बाधा उत्पन्न नहीं करने की एवज में 10 लाख रूपये की राशि मांग रहे है। मैं इतनी बडी राशि देने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे बार बार नौकरी से हटवाने की धमकी दी जा रही है। मेरा इस अधिकारी से कोई व्यक्तिगत लेनदेन नहीं है। मैं इससे काफी परेशान हो चुका हूँ। मैं इस अधिकारी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ ताकि मेरी कम्पनी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। कृपया उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें'' उक्त लिखित रिपोर्ट पर परिवादी से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मजीद दरियाफ्त की गई।

एसडी/-

(विमल कुमार, परिवादी)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर

दिनांक 8-4-2022 समय 12.10 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर को मंगवाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया। इसके उपरान्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री सुरेश जाट कानि. 424 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा श्री सुरेश जाट कानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत दी गयी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री विमल कुमार को ब्यूरों का डिजिटल टेप रिकार्डर जरिये फर्द सुपुर्द किया। फर्द सुपुर्दगी टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। परिवादी को श्री सुरेश जाट कानि. के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने की आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री सुरेश जाट कानि को परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से पाली के लिए रवाना किया गया।

एसडी/-

(विमल कुमार, परिवादी) (सुरेश जाट, कानि)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 8-4-2022 समय 4.54 पी.एम.

इस समय श्री सुरेश जाट कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि परिवादी एवं संदिग्ध श्री यज्ञदत कार्यकारी अभियंता के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित वार्ता हुई'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुरेश जाट कानि को परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत दी गयी।

एसडी/-
(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 8-4-2022 समय 8.45 पी.एम.

इस वक्त रवानाशुदा परिवादी श्री विमल कुमार एवं श्री सुरेश जाट कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के निजी वाहन से बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री सुरेश जाट कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ''हम दोनो यहां से रवाना होकर पाली बाईपास पर स्थित होटल के पास पहुंचकर मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को दिया। जिस पर समय 3.35 पीएम पर परिवादी रवाना होकर होटल पर पहुंचकर किसी व्यक्ति से मिला। मैं होटल के बाहर ही आसपास ही खडे होकर परिवादी का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटा बाद परिवादी मेरे पास आकर टेप रिकॉर्डर बंद करके मुझे दी जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने रिश्वत मांग संबंधी वार्ता होना बताया। जिस पर मेरे द्वारा आपसे मोबाइल पर वार्ता की। रिश्वत मांग सत्यापन के हालात बताये। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय में आपके समक्ष उपस्थित आये है।'' इसके उपरांत परिवादी ने भी श्री सुरेश जाट कानि द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात परिवादी के समक्ष ही मन्

पुलिस निरीक्षक के द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी के द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पारिवारिक समारोह होने एवं रूपयों की व्यवस्था कर लाने हेतु दो दिन की आवश्यकता रहेगी। मैं दिनांक 11–4–22 सोमवार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया।

एसडी/–

(विमल कुमार, परिवादी) (सुरेश जाट, कानि)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11–4–2022 समय 2.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री विमल कुमार उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था सुबह तक हो जाएगी और परिवादी ने यह भी बताया कि यज्ञदत जी ने आज सुबह से दो तीन कॉल किये है जिसमें से एक दो कॉल तो मैंने उठाये नहीं है। अभी कुछ समय पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम्पनी से बात हुई क्या।

एसडी/–

(विमल कुमार, परिवादी)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11–4–2022 समय 2.58 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री विमल कुमार के मोबाइल नं 8769720054 पर श्री यज्ञदत के मोबाइल न 9314134542 से कॉल आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर स्पीकर ऑन कराकर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के दौरान आरोपी श्री यज्ञदत ने कहा कि व्हाट्सअप कॉलिंग करो। जिस पर समय करीब 3.00 पीएम पर परिवादी श्री विमल कुमार की श्री यज्ञदत से व्हाट्सअप कॉल पर वार्ता करायी गयी। उक्त व्हाट्सअप कॉल वार्ता को भी ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त दोनो वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर अकब से मूर्तिब की जाएगी।

एसडी/–

(विमल कुमार, परिवादी)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11–4–2022 समय 3.30 पी.एम.

उक्त कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से इस कार्यालय के पत्रांक 1047 दिनांक 11–4–2022 से जिला परिषद उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर श्री मांगीलाल कानि को गवाह लाने हेतु जिला परिषद उदयपुर के लिए रवाना किया गया।

एसडी/–

(मांगीलाल, कानि)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11–4–2022 समय 4.00 पी.एम.

इस समय श्री मांगीलाल कानि. मय जिला परिषद उदयपुर की तेहरीर मय दो स्वतंत्र गवाह श्री नेतराम जोरवाल, सहायक विकास अधिकारी एवं श्री निर्भय रावत, कनिष्ठ सहायक, हाल प्रतिनियुक्त जिला परिषद उदयपुर तलबिदा उपस्थित आये। तत्पश्चात दोनो गवाहान से उक्त गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। उक्त दोनो गवाहान जिनका परिचय परिवादी श्री विमल कुमार से आपस में कराया। इसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताया। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11-4-2022 समय 4.30 पी.एम.

इस समय दिनांक 8-4-22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाई गयी। दोनो गवाहान ने भी आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। तत्पश्चात उक्त परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की मूल एवं डब सीडी बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी थी। मूल एवं डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11-4-2022 समय 7.00 पी.एम.

इस समय आज दिनांक 11-4-22 को समय करीब 2.58 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री यज्ञदत के बीच हुई मोबाइल वार्ता एवं समय करीब 3.00 पीएम पर व्हाट्सअप कॉल वार्ता, जिसे मोबाइल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडी बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी थी। मूल एवं डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 11-4-2022 समय 7.40 पी.एम.

दर्ज रहे कि वक्त रात्रि का हो जाने से एवं घटनास्थल दूर होने से आज दिनांक को ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर कल दिनांक 12-4-2022 को प्रातः 5 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत करते हुए स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर कल दिनांक 12-4-2022 को प्रातः 5 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 12-4-2022 समय 4.50 ए.एम.

इस समय श्री भगवतसिंह कानि 366, कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर से इमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय हुआ।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 12–4–2022 समय 5.00 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री विमल कुमार एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नेतराम, श्री निर्भय रावत एवं ब्यूरो जाप्ता उपस्थित कार्यालय हुआ। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री यज्ञदत को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 13 लाख रूपये लेकर आया हूँ। परिवादी और स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया।

एसडी/–

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 12–4–2022 समय 5.05 ए.एम.

इस समय दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री विमल कुमार से संदिग्ध श्री यज्ञदत को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री विमल कुमार ने अपने पास में से गुलाबी रंग की चैन वाली थैली जो एक तरफ पारदर्शी होकर नोट दिखाई दे रहे है जिसमें से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश की। जिन्हें स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 2000–2000 रूपये के 20 नोट एवं 500–500 रूपये के 2520 नोट कुल 13,00,000 रूपये (तेरह लाख रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में ही उपरोक्त समस्त नोटों को कार्यालय में रखी फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी करायी जाकर उपरोक्त नोटों की फोटोकॉपी में अंकित नंबरों का मिलान परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटों के नंबरों से कराया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी ने उक्त नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू होना बताया। तत्पश्चात उक्त नोटों की फोटोकॉपी पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों की फोटोकॉपी को शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त समस्त नोटों को परिवादी के द्वारा लायी गयी गुलाबी रंग की चैन वाली थैली जो एक तरफ पारदर्शी है, उसमें ही रखकर परिवादी को दिये गये ताकि रिश्वत राशि ग्रहण करने वाले को नोट आसानी से दिखाई दे। तत्पश्चात् श्री टीकाराम कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में गजाराम वरिष्ठ सहायक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से बाहर फिकवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को गजाराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाने पुनः सुरक्षित मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि दे देने का ईशारा करे अथवा अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर दिये गये। श्री टीकाराम कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं

स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई ।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 6.10 ए.एम.

इस समय दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान आरोपी श्री यज्ञदत, कार्यकारी अभियंता से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गयी।

एसडी/-

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 6.25 ए.एम.

इस समय परिवादी के निजी वाहन में श्री सुरेश जाट कानि को रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक हरिशचन्द्र सिंह, इमदाद हेतु श्री हेरम्ब जोशी, पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री नेतराम जोरवाल एवं श्री निर्भय रावत, ब्यूरो जाप्ता हैड कानिगण श्री मुनीर मोहम्मद, श्री करणसिंह, कानिगण श्री भगवतसिंह, श्री टीकाराम, श्री मांगीलाल मय आवश्यक संसाधन लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन से पाली के लिए रवाना हुए।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 9.40 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक हमराहीयान के पाली बाईपास पर पहुंचे जहां वाहनों को साईड में खडा किया तो श्री सुरेश कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी के साथ जब हम आ रहे तो समय करीब 7.56 एएम, 9.05 एएम एवं 9.18 एएम पर आरोपी श्री यज्ञदत ने अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर व्हाट्सअप कॉल किये है, जिसे परिवादी के द्वारा ही डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन करके उक्त तीनो वार्तायें पृथक-पृथक रिकॉर्ड की गयी। आरोपी ने रिश्वती राशि लेकर बाईपास स्थित आरटीडीसी पणिहारी होटल पर ही बुलाया है।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 9.45 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक हमराहीयान के आरटीडीसी होटल के बाहर पहुंच परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर आरटीडीसी पणिहारी होटल के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आसपास खडे होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारे का इन्तजार करने लगे।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 10.15 ए.एम.

परिवादी श्री विमल कुमार ने आरटीडीसी पणिहारी होटल से बाहर आकर समय 10.06 एएम पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुचें। जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री यज्ञदत, कार्यकारी अभियंता ने मुझसे 13 लाख रूपये रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करके अपनी इनोवा कार की सीट पर रखी है। जिस पर परिवादी को साथ लेकर उक्त आरटीडीसी पणिहारी होटल परिसर में ही खडी इनोवा कार की ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति बैठने लगा। जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यहीं यज्ञदत विदुवा है, जिन्होंने मेरे से रिश्वती राशि 13 लाख रूपये अपने हाथो से ग्रहण करके अपनी इनोवा कार में आगे की तरफ ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर रख दिये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को रोककर अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री यज्ञदत्त विदुवा पुत्र श्री बिपिन बिहारी विदुवा जन्मतिथि 05-3-1965 निवासी 16, गणेश विहार, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली (राज) होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक श्री यज्ञदत से परिवादी श्री विमल कुमार से ग्रहण की गयी रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो अपने पास ही खडी इनोवा कार की आगे की सीट पर रखना बताया। जिस पर आरोपी श्री यज्ञदत से परिवादी से 13 लाख रूपये किस बात के ग्रहण किये है, के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री यज्ञदत घबराते हुए कहने लगा कि ये तो जयपुर पहुंचाने के लिए मुझे कुछ पैकेट दिया है मैंने इनसे कोई पैसे की मांग नहीं की है। जिस पर परिवादी ने बताया कि ये झूठ बोल रहे है। इन्होंने मेरी कम्पनी का कार्य सुचारू रूप से चलने देने एवं 75 लाख रूपये रिलीज करने एवं कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने की एवज में मेरे से अभी अभी 13 लाख रूपये रिश्वत के मांगकर ग्रहण किये है जो इनकी इनोवा कार की ड्राईवर के पास वाली सीट पर इन्होंने खुद ने रखे है। जिस पर आरोपी श्री यज्ञदत ने कहा कि गलती हो गयी सर, मुझे माफ कर दो। जिस पर उक्त रिश्वती राशि बरामद की जाना वांछित होने से पास ही खडे स्वतंत्र गवाह श्री नेतराम जोरवाल ने इनोवा कार नम्बर यूपी 65 सीजे 9702 की आगे की ड्राईवर के पास वाली सीट पर प्लास्टिक के बेग में रखे हुए पेश किये। जिन्हें स्वतंत्र गवाहान के पास सुरक्षित रखवाये जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं आरोपी श्री यज्ञदत विदुवा को साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त आरटीडीसी होटल का रूम खुलावाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। इसके उपरान्त आरोपी श्री यज्ञदत के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त नियमानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए श्री सुरेश जाट कानि से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया, जिसमे से दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री यज्ञदत के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री यज्ञदत के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान से उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि 13 लाख रूपये का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से किया गया तो मिलान होना बताया। इसके उपरान्त उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि को अलग-अलग 6 बण्डलों में सफेद

कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल इनोवा कार की ड्राईवर के पास वाली आगे की सीट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच की गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इसके उपरान्त कपडे की छिंदी से इनोवा कार की ड्राईवर के पास वाली आगे की सीट का धोवन लिया जाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर घलयाया गया तो उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एस-1 व एस-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दर्ज रहे कि आरोपी श्री यज्ञदत का निवास स्थान 16, गणेश विहार, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास जयपुर हो उक्त स्थान की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 2.00 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विमल कुमार एवं आरोपी श्री यज्ञदत की निशादेही से उक्त आरटीडीसी होटल जहां से रिश्वत राशि का लेनदेन हुआ, उक्त स्थल का घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 2.50 पी.एम.

इस समय आरोपी के पाली स्थित निवास स्थान की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से श्री हेरम्ब जोशी, पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री यज्ञदत के आरोपी के पाली स्थित कार्यालय एवं आरोपी के किराये के निवास स्थान (वी.एस राजपुरोहित के मकान) स्थित गायत्री नगर, पाली की खानातलाशी लिये जाना वांछित होने से आवश्यक हिदायत देकर निर्देशित किया गया कि आरोपी के द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत स्वरूप ग्रहण किये गये लेपटॉप एप्पल कम्पनी मॉडल एम 1 CHIP MACBOOK AIR 8/256GB का होकर सिल्वर कलर का है, जिसका बिल परिवादी ने रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। उक्त बिल को पुलिस उप अधीक्षक को दिया जाकर लेपटॉप की बरामदगी के प्रयास बाबत जरिये तेहरीर एसपीएल 1 दिनांक 12-4-22 से निर्देशित किया जाकर रवाना किया गया।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12-4-2022 समय 4.30 पी.एम.

इस समय पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के फिकरा उपरोक्त का गये हुए बाद कार्यवाही के उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को फर्द खानातलाशी कार्यालय अधिशाषी अभियंता, पाली एवं फर्द खानातलाशी आरोपी का किराये का रिहायशी मकान के साथ लेपटॉप मॉडल एम 1 CHIP MACBOOK AIR 8/256GB एवं परिवादी की कम्पनी के टेण्डर से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां एवं आरोपी के पदस्थापन से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल कार्यवाही की गयी।

एसडी/-

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12–4–2022 समय 5.00 पी.एम.

आज दिनांक 12–4–22 को आरोपी एवं परिवादी के बीच समय करीब 7.56 एएम, 9.05 एएम एवं 9.18 एएम पर वार्ता हुई, जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाई गयी। तत्पश्चात उक्त परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से व्हाट्सअप कॉल वार्ता की मूल एवं डब सीडी बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी। मूल एवं डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/–

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12–4–2022 समय 5.40 पी.एम.

इस समय आज दिनांक 12–4–22 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाई गयी तो दोनो गवाहान ने भी आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करने की पुष्टि की। तत्पश्चात उक्त परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की मूल एवं डब सीडी बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी। मूल एवं डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/–

(नेतराम जोरवाल, गवाह) (निर्भय रावत, गवाह) (विमल कुमार, परिवादी) (हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12–4–2022 समय 6.30 पी.एम.

इस वक्त परिवादी श्री विमल कुमार एवं आरोपी श्री यज्ञदत अधिशाषी अभियंता के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड 32 जीबी का होकर सनडिस्क लिखा हुआ है, को जरिये फर्द पृथक से वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखवाया जाकर नियमानुसार सिल्ड किया गया।

एसडी/–
(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12–4–2022 समय 7.00 पी.एम.

इस समय आरोपी श्री यज्ञदत को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कमशः पत्र क्रमांक एसपीएल–2 दिनांक 12–4–22 दिया गया। आरोपी के द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।

एसडी/–
(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक : 12–4–2022 समय 7.20 पी.एम.

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री यज्ञदत विदुवा पुत्र श्री बिपिन बिहारी विदुवा जन्मतिथि 05–3–1965 निवासी 16, गणेश विहार, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली (राज) के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित होने से श्री यज्ञदत को

उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी/-
(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक

इस प्रकार आरोपी श्री यज्ञदत विदुवा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली (राज) ने परिवादी की कम्पनी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 ब्यावर गौमती सेक्शन में पेकैज, 2 का कार्य 188 करोड 44 लाख के कार्य जो कि किलोमीटर 108.60 से किलोमीटर 144 व किलोमीटर 158.42 से 173.30 के कार्य में अनुचित दबाव बनाकर कम्पनी के कार्य में अवरोध पैदा कर कम्पनी के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एवं कम्पनी की एचआर (हैण्ड रिसिप्ट) 75 लाख रूपये रिलीज करने एवं कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने की एवज में परिवादी से 13 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना एवं पूर्व में एप्पल कम्पनी का लेपटाप भी दबाव बनाकर ग्रहण करना प्रमाणित है।

इस प्रकार आरोपी श्री यज्ञदत विदुवा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली (राज) के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री विमल कुमार से दिनांक 8-4-2022 को दौराने सत्यापन 13 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करना तथा दिनांक 12-4-2022 को परिवादी से 13 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना एवं पूर्व में एप्पल कम्पनी का लेपटाप भी दबाव बनाकर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7, 11 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री यज्ञदत विदुवा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ. मा. खण्ड पाली (राज) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,11 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(हरिश्चंद्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री यज्ञदत्त विदुवा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड पाली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 129/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 1141-46 दिनांक 13.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

13.4.22
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।